विनु० सं० । (c) का । ३४८

(18)

Additional Attachment -2.2

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी योजना के अन्तर्गत दरमोली – पिठौली मोटर मार्ग का निमार्ण ।(लम्बाई 2.000 किमी)

प्रस्तावित परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

Add. Attachment-2.2 (6 आय) बि0खं0 1(c) काउन्टर (19)

एस.सी.पी.
संख्या–827/ III–2/06–76(प्रा.आ.)/05टी.सी.।

360

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों के रूपये 7509.24 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 6981.98 लाख (रू0 उनहत्तर करोड़ इक्यासी लाख अठानवे हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.69 लाख (रू0 उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. ~~कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात~~ स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

28/3/06

Addl. Attachment - 2.2 (20)

–2–

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब योजना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर उस कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभाग के बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक– 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–548 /XXVII/(2)/2005 दिनांक 28 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– 69 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 827(1)/III–2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2– आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौडी।
3– समस्त जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, उत्तराँचल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता, कुमांयू क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पौड़ी।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराँचल ।
~~8– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।~~
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/2 उत्तरांचल शासन/ गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

Photo Copy Attested
फोटो प्रति प्रमाणित
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

सं0 1167/552 चाल0–वृ0/06 दि0 3/3/06
प्रतिलिपि सूची सहित 1/2/3/4/5/6 अधि0 अभि0 नि0 खं0 पिथौरागढ़/नैनीताल/अल्मोड़ा/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रति समस्त चाल0/वसूल/प्राविधि वर्ग।

मुख्य अभियन्ता,
कु0 क्षे0, लो0 नि0 वि0

Addl. Attachment-2.2

(359)

...शासनादेश संख्या-827/111(2)/06- 76(प्रा.आ.)/05टी.सी.। दिनांक28 मार्च,2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2005-06 में व्यय की स्वीकृति
2	3	4	5	6
पिथौरागढ़ में एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख मेलडुंगरी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	7.00	101.50	101.50	0.01
एस.सी.पी. के अन्तर्गत जी.आई.सी. ...कौली-डुंगरी रॉवल मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	213.60	213.60	0.01
देवलथल कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 4 से 13 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	10.00	178.00	178.00	0.01
एस0सी0पी0 के अन्तर्गत नैनी सैनी कुम्डार मोटर मार्ग से कनारी पाभैं होते हुए अम्बेदकर गांव सौड़खेत तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01
एस0सी0पी0 के अन्तर्गत ऐंचोली-गैना मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	53.40	53.00	0.01
एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	17.80	17.80	0.01
एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग में 36 मी0 व 12 मी0 स्पान सेतु का निर्माण	36.00 व 12.00 मी0	55.20	55.20	0.01
...सी.पी. के अन्तर्गत बडाबे से सिलिंगिया मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.40	53.40	0.01
एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख-रावल गांव-धरासी- चमेला-रामेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	267.00	267.00	0.01
दूनी चहज मोटर मार्ग के किमी0 6 से डयूलहेड़ा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01
डिग्री कालेज लोहाघाट से गंगलौला-नसखोला होते हुए अम्बेडकर ग्राम पोखरीबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण	25.00	445.00	445.00	0.01
अल्मोडा में सल्ट के अन्तर्गत भौनडांडा से ...खाल तक सडक निर्माण का कार्य	6.00	129.30	106.80	0.01
एस.सी.पी. के अन्तर्गत छेड़ा- कुमैंयाचौड -नरगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	178.00	178.00	0.01
...स.सी.पी. के अन्तर्गत अमोठा, कठुली नावां ...रल किमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	166.80	166.80	0.01

छायाप्रति प्रमाणित
Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

(24)

Add Attachment-2.2

387

	एस.सी.पी. के अन्तर्गत खोला(लोस्तू) देवगढ़ी हेतु गहड़ मोलधार ह0वा0 मार्ग को मो0मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार कार्य का शेष भाग	0.600	11.64	11.64	0.01
62.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पवेला हेतु तोली गुजेठा ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनःनिर्माण / सुधार	0.900	17.46	17.46	0.01
63.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल में पालकोट से चौड जसपुर मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.01
64.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत कालापातल–सलियाकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	8.00	140.80	140.80	0.01
65.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत सतोली–कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	106.80	106.80	0.01
66.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बिचखाली–सलकुली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
67.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बसगॉव–डडोर–बसती मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	142.00	142.00	0.01
68.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत दरमोली–पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
69.	भलौन से सिमली–पातली–अमतोली–अमोठा मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	279.34	213.60	0.01
	कुल योग		7509.24	6981.98	0.69

(रूपये उनहत्तर हजार मात्र)

Photo Copy Attested
फोटो प्रति प्रमाणित
Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

पत्रांक 1680 / 12ए दिनांक 12/4/06
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) सहायक अभियन्ता प्रथम,
(2) कनिष्ठ अभियन्ता (सभी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल.
3/4/3/06

OK